विधान सभा सचिवालय

उत्तर प्रदेश

(संसदीय अनुभाग)

संख्या : 1255/वि0स0/संसदीय/18(सं)/2017

लखनऊ : दिनांक 13 नवम्बर, 2018

प्रेषक,

प्रदीप कुमार दुबे,

प्रमुख सचिव।

सेवा में,

माननीय सदस्यगण,

विधान सभा, उत्तर प्रदेश।

महोदय/महोदया,

मुझे आपको यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि **उत्तर प्रदेश विधान सभा सदस्यों के लिए हस्तपुस्तिका (बारहवां संस्करण)** में पृष्ठ सं0 7 पर उल्लिखित शीर्षक **"विधान सभा का आह्वान और राज्यपाल का अभिभाषण"** के अन्तर्गत विवरण को निम्नलिखित रूप में संशोधित कर दिया गया है :-

"विधान सभा का आह्वान और राज्यपाल का अभिभाषण

5-संविधान के अनुच्छेद 174 (1) के अधीन राज्यपाल द्वारा सदन के सत्र आहूत किये जाते हैं। विधान सभा के सामान्य निर्वाचन के उपरान्त प्रथम सत्र के आरम्भ में तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरम्भ में राज्यपाल एक साथ समवेत विधान सभा और विधान परिषद् के दोनों सदनों को सम्बोधित करते हैं और विधान मण्डल को आहूत करने के कारण बताते हैं।

संविधान के अनुच्छेद 175 के अधीन राज्यपाल, जब कभी वे चाहें, विधान सभा या विधान परिषद् या एक साथ समवेत विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष अभिभाषण कर सकते हैं।

जब कभी राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 174 या 175 के अन्तर्गत विधान सभा या विधान परिषद् या एक साथ समवेत हुये विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष अभिभाषण करने के लिये आते हैं तो राजभवन के परिसर में श्री राज्यपाल नेशनल सेल्यूट लेते हैं और तुरन्त पश्चात राज्य विधान मण्डल के लिए प्रस्थान करते हैं। श्री राज्यपाल से पूर्व उनके स्पाउस विधान मण्डल के लिए प्रस्थान करते हैं और प्रोटोकाल के अनुसार अपना स्थान ग्रहण करते हैं। विधान भवन के गेट नं0 8 से प्रवेश करके श्री राज्यपाल के पोर्टिको में पहुंचने पर मा0 मुख्य मंत्री, मा0 सभापति, विधान परिषद् तथा मा0 अध्यक्ष, विधान सभा एवं प्रमुख सचिव, विधान परिषद् तथा प्रमुख सचिव, विधान सभा एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति श्री राज्यपाल का स्वागत करते हैं। श्री राज्यपाल नेशनल सेल्यूट लेते हैं एवं तत्पश्चात् लिफ्ट द्वारा श्री राज्यपाल ऊपर आते हैं तथा विधान सभा मण्डप के मंच के पीछे वाली सीढ़ियों तक मा0 मुख्य मंत्री, मा0 सभापति, विधान परिषद् एवं मा0 अध्यक्ष, विधान सभा उनका पुरोगमन करते हैं।

सभा मण्डप के पीछे के मंच की सीढ़ियों तक जुलूस का क्रम निम्नलिखित होता है :-

ए0डी0सी0		ए0डी0सी0
प्रमुख सचिव, विधान परिषद्		प्रमुख सचिव, विधान सभा
मा0 सभापति, विधान परिषद्		मा0 अध्यक्ष, विधान सभा

श्री राज्यपाल

मा0 संसदीय कार्य मंत्री		मा0 मुख्य मंत्री
प्रमुख सचिव/सचिव, श्री राज्यपाल		मुख्य सचिव

मा0 मुख्य मंत्री, मा0 संसदीय कार्य मंत्री, प्रमुख सचिव, विधान परिषद् तथा प्रमुख सचिव, विधान सभा सभा मण्डप में पार्श्ववर्ती द्वार से प्रवेश करते हैं। विधान सभा के मार्शल श्री राज्यपाल के मण्डप में आगमन की घोषणा करते हैं तथा श्री सभापति और श्री अध्यक्ष श्री राज्यपाल को सभा मण्डप में मंच तक पहुंचाते हैं। श्री राज्यपाल द्वारा आसन ग्रहण करने तक तूर्यघोष द्वारा फैनफेयर की धुन बजायी जाती है। विधान सभा के मार्शल द्वारा सभा मण्डप में श्री राज्यपाल के आगमन की घोषणा पर सभा मण्डप में उपस्थित सदस्यगण अपने-अपने स्थानों पर खड़े हो जाते हैं तदुपरान्त पुलिस बैंड द्वारा राष्ट्रगान बजाया जाता है। तत्पश्चात श्री राज्यपाल द्वारा "माननीय सदस्यगण कृपया स्थान ग्रहण करें" कहने पर मा0 सदस्य पुनः अपना-अपना स्थान ग्रहण करते हैं। श्री राज्यपाल मंच पर बीच का आसन ग्रहण करते हैं। उनके दाहिने ओर की कुर्सी पर मा0 अध्यक्ष तथा बायीं ओर की कुर्सी पर मा0 सभापति बैठते हैं।

(मंच पर द्वार के निकट श्री राज्यपाल के निजी स्टाफ के लिये दो कुर्सियां रखी जाती हैं)

श्री राज्यपाल के प्रमुख सचिव आगे आकर श्री राज्यपाल को अभिभाषण की एक प्रति प्रस्तुत करते हैं तथा अभिभाषण की एक-एक प्रति श्री सभापति तथा श्री अध्यक्ष के लिये मेज पर रख देते हैं, तब श्री राज्यपाल अपना अभिभाषण प्रारम्भ करते हैं।

सम्बोधन के पश्चात् धन्यवाद दिया जाता है और राष्ट्रगान बजाया जाता है। तत्पश्चात् उसी रीति का अनुसरण करते हुए श्री राज्यपाल का जुलूस बाहर आयेगा और मा0 मुख्य मंत्री, मा0 सभापति, विधान परिषद्, मा0 अध्यक्ष, विधान सभा एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति श्री राज्यपाल को विदा करते हैं।

राज्यपाल जब सदन के समक्ष अभिभाषण कर रहे हों उस समय सदस्यों को कोई वैधानिक आपत्ति उठाकर, अथवा राज्यपाल के अभिभाषण के पूर्व अथवा उसके मध्य या उसकी समाप्ति पर, कोई भाषण देकर किसी भी प्रकार कार्यवाही में बाधा नहीं पहुंचानी चाहिये और कोई ऐसा कार्य नहीं किया जाना चाहिये जो राज्यपाल के प्रति अशिष्टता की प्रवृत्ति का सूचक हो, क्योंकि ऐसे कार्य से सदस्यों द्वारा ली गयी शपथ का उल्लंघन होता है और उनसे उस सदन की प्रतिष्ठा भी घटती है जिसके माननीय सदस्य होने का गौरव उन्हें प्राप्त है।

राज्यपाल के अभिभाषण के पश्चात् विधान सभा के प्रथम उपवेशन में अध्यक्ष सदस्यों को राज्यपाल का अभिभाषण पढ़कर सुनाते हैं और राज्यपाल के अभिभाषण में निर्दिष्ट विषयों पर चर्चा करने के लिये सदन के नेता से परामर्श करके समय नियत करते हैं जो साधारणतया चार दिन होता है। तत्पश्चात् अभिभाषण के लिये राज्यपाल को धन्यवाद देने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है। धन्यवाद के प्रस्ताव पर संशोधन, सदस्यों द्वारा धन्यवाद के

प्रस्ताव में ऐसे शब्द जैसे ''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल के अभिभाषण में अमुक-अमुक विषयों का कोई उल्लेख नहीं है'', बढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है। इससे सरकार की उन विभिन्न नीतियों के संबंध में चर्चा करने का अवसर प्राप्त होता है, जिनका उल्लेख राज्यपाल के अभिभाषण में किया गया हो अथवा जिनका उल्लेख उनमें न किया गया हो और सरकार को इससे विभिन्न सरकारी कार्य-कलापों के प्रति राज्य के लोगों की भावनाओं से अवगत होने में भी सहायता मिलती है।''

आज्ञा से,

प्रदीप कुमार दुबे,

प्रमुख सचिव।

संख्या : 1255(1)/वि0स0/संसदीय/18(सं)/2017 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित :-

1-माननीय अध्यक्ष, विधान सभा के निजी सचिव को माननीय अध्यक्ष की सूचनार्थ,

2-माननीय नेता विरोधी दल, विधान सभा के निजी सचिव को माननीय नेता विरोधी दल की सूचनार्थ,

3-समस्त मंत्रियों के निजी सचिवों को माननीय मंत्रियों की सूचनार्थ,

4-मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन,

5-प्रमुख सचिव, विधान सभा, उत्तर प्रदेश,

6-प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, विधायी/संसदीय कार्य विभाग,

7-प्रमुख सचिव, विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश,

8-प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, राजभवन, लखनऊ,

9-समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन,

10-उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय के समस्त अधिकारीगण तथा अनुभाग,

11-विधान पुस्तकालय को उत्तर प्रदेश विधान सभा की वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

अशोक कुमार,

संयुक्त सचिव।

पी0एस0यू0पी-एल0 128 विधान सभा (233)-13-11-2018-600 प्रतियां (कम्प्यूटर)।